FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0261 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/09/2026 17:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/09/2026 **Date To (दिनांक तक):** 13/09/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:25 बजे **Time To (समय तक):** 11:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/09/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/09/2026 17:21:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA SAMBHAR LAKE, JAIPUR RURAL

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PRAVEEN KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAISARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOGOR POST SINGHANA, NAWA, KUCHAMAN CITY, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOGOR POST SINGHANA, NAWA, KUCHAMAN CITY, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMMILAN MEENA		पिता:RADHESHYAM MEENA	1. PLOT NO. A-63,MAHADEV NAGAR,JAGTPURA JAIPUR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 11.09.2026 को श्री भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक ने मन् मनोज कुमार पुलिस निरीक्षक,भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम को जरिये फोन कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश फरमाने पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित आने पर वहां पर उपस्थित व्यक्ति का परिचय परिवादी प्रवीण कुमार पुत्र श्री जैसाराम उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी गांव गोगोर पोस्ट सिंघाना तहसील नावां पुलिस थाना कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन से करवाते हुये परिवादी श्री प्रवीण कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है व मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने अपने द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मेरे पिताजी के नाम एक फर्म है जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग से सांभर क्षेत्र में नलियासर मोड से आदर्वा तक सडक निर्माण का कार्यादेश मिला हुआ है। जिसमें फरवरी माह से सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रखा है। उक्त सडक निर्माण क्षेत्र थाना सांभर के अधीन आता है। जिसके थानाधिकारी राममिलन जी बार-बार बिना किसी शिकायत के हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों को थाने में बन्द करने की धमकी देकर हमसे हर महिने के 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। कल दिनांक 10.09.2026 को भी हमारे एक दुर्घटना ग्रस्त वाहन स्वीफ्ट कार नम्बर आरजे-21-सीई-4999 को बेवजह थाने में ले जाकर खडी कर दी तथा इसमें राजीनामा करने के बहाने से थाने बुला रहे हैं एवं सडक निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने की ऐवज में 20,000 रूपये रिश्वत राशि देने का दबाव डालकर परेशान किया जा रहा है। मैं थानाधिकारी से परेशान होकर दबाव में लाकर ये पूर्व में भी मुझसे 40,000 रूपये इन्होनें ले लिए है। मैं सांभर थानाधिकारी श्री राममिलन जी को हर महिने रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी राममिलन जी से कोई रंजिश तथा उधार का लेन-देन नहीं है। कानूनी कार्यवाही करवाई जाये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर परिवादी के साथ श्री राजकुमार हैड कानि. नम्बर 79 को रवाना कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाने पर संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में 50,000 रूपये की मांग तय होना पायी गई। संदिग्ध आरोपी द्वारा परसो दिनांक 13.09.2026 रविवार को परिवादी को रिश्वत लेन-देन हेतु बुलाने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दिनांक 13.09.2026 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 12.09.2026 को स्वतंत्र गवाहान हेतु तलबी पत्र जारी किया गया। इसके बाद दिनांक 13.09.2026 को पाबन्द शुदा परिवादी व कार्यालय स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक टांक वरिष्ठ सहायक व श्री कुणाल दाधीच खनि रक्षक, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर उपस्थित आने के बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। तत्पश्चात समय 9.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार व श्रीमान् अति.पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र मय रामजीलाल उप निरीक्षक, श्री बंशीधर कानि. नम्बर 24, श्री लालू कानि. 418 श्रीमति राजबाला महिला कानि0 495, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक टांक वरिष्ठ सहायक, श्री कुणाल दाधीच खनि रक्षक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहनों मय चालकों वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से थाना सांभर लेक के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को उसकी निजी वाहन में राजकुमार हैड कानि. व आशीष कानि. 208 को सांभरलेक थाने से पहले मिलने की हिदायत कर रवाना किया गया। रवाना शुदा मन् पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना सांभरलेक से पहले रोड के साईड में वाहनों को खडा किया, जहां पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार भी राजकुमार हैड कानि0 व श्री आशीष कानि. 208 के साथ अपने निजी वाहन से पहुंचे। उसके बाद परिवादी को संदिग्ध आरोपी के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को थाने में आने की कहने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना सांभरलेक रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सरकारी वाहनों के आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर वाहनों को पुलिस थाने से पहले साईड में खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 11.25 एएम पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने अपने

मोबाईल फोन से श्री राजकुमार हैड कानि0 के मोबाईल पर तथा राजकुमार हैड कानि. द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर रिश्वत लेन-देन का पूर्व निर्धारित ईशारा पुलिस थाना सांभरलेक परिसर स्थित थानाधिकारी के कक्ष से किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के पुलिस थाना परिसर में स्थित थानाधिकारी के कक्ष के अन्दर पहुंचा तो एसएचओ की कुर्सी पर एक व्यक्ति सादा कपडे पहने हुए तथा उसकी टेबल के सामने कुर्सी पर परिवादी बैठा हुआ मिला। परिवादी के पास पहुंचकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने एसएचओ की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही एसएचओ श्री राममिलन मीणा है, मेरे पिताजी की फर्म मैसर्स बजरंग कोन्ट्रेक्टर कुचामन जिसका इनके थाना क्षेत्र सांभर में नलियासर मोड से आदर्वा तक सडक निर्माण कार्य जारी है। उक्त निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों को थाने में बन्द करने की धमकी देकर हमसे हर माह 10-10 हजार रूपये के हिसाब से रिश्वत मांगने व पूर्व में 40,000 रूपये ले चुके है तथा पिछले तीन माह सहित अक्टूम्बर व नवम्बर तक के 50 हजार रूपये रिश्वत के मांगने और रिश्वत मांग तय होने पर आज मैं एसएचओ साहब के पास आया व इनको रिश्वत राशि देने लगा तो इन्होनें अपनी टेबल पर रखने की कहने पर मैंने इनके सामने इनकी टेबल पर पैसे रख दिए और इन्होनें रिश्वती राशि पर अपना हैण्डटॉवल रखकर अपनी तरफ खींच लिए और मैंने आपको पूर्व निर्धारित ईशारा कर दिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने एसएचओ की कुर्सी पर बैठे हुए उक्त व्यक्ति को अपना एवं ट्रेप टीम के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राममिलन मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 43 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव सुन्दरी पुलिस थाना बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लॉट नं. ए-63, महादेव नगर, जगतपुरा जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक, जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया, इस पर श्री राममिलन मीणा से परिवादी प्रवीण कुमार से रिश्वती राशि 50 हजार रूपये लेने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि श्री प्रवीण कुमार की फर्म की गाडी स्विफ्ट डिजायर नं. आरजे-21-सीई-4999 ने करीब 2-3 दिन पहले एक बाईक का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसे थाने में जब्त कर खडी करवा रखी है। प्रवीण कुमार दिनांक 11.09.2026 को थाने पर आकर मुझसे मिला व उसकी गाडी को छोडने के लिए कहा तो मैंने उसे कहा कि आपकी गाडी जब्त है और कोर्ट से छूटेगी। इस पर प्रवीण कुमार ने मुझसे कहा कि मैं सोमवार को वकील करके गाडी कोर्ट से छुडवा लूंगा। आज प्रवीण कुमार ने कुछ देर पहले मेरे पास फोन किया तो मैंने इसे कहा कि आप मेरे कक्ष में बैठो मैं क्वार्टर से आ रहा हूं। इसके बाद मैं मेरे क्वार्टर से मेरे कक्ष में आया तो प्रवीण कुमार मुझे उसकी गाडी छोडने के लिए कहने लगा तो मैंने कहा कि गाडी कोर्ट से ही छुटेगी। इसके बाद प्रवीण कुमार ने मेरी टेबल पर 500-500 रूपये के नोटों की एक गड्डी फेंक दी। इसके बाद आप लोग आ गये। इस पर मौजूद परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने आरोपी राममिलन मीणा के कथन का खण्डन करते हुए बताया कि एसएचओ साहब झूठ बोल रहे है। मैं दिनांक 11.09.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन इनके पास थाने में आया तो इन्होनें मेरे पिताजी के नाम की फर्म को पीडब्ल्यूडी विभाग से प्राप्त कार्यादेश के तहत बन रहे सडक निर्माण कार्य को अपने थाना क्षेत्र में निर्बाध रूप से चालू रखने की ऐवज में 10 हजार रूपये प्रति माह के हिसाब से रिश्वत की मांग करने तथा पूर्व में भी दो बार 20-20 हजार कुल 40 हजार इनको दबाव में आकर परेशान होकर दे चुका हूं तथा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान एसएचओ साहब ने 3 माह पूर्व व दो माह अक्टूबर व नवम्बर 2026 के एडवान्स कुल 50 हजार रूपये तय होने पर आज मैंने थाने में आने से पूर्व एसएसओ साहब को फोन किया तो इन्होनें कहा कि मैं क्वार्टर में हूं मैं अभी आ रहा हूं। मैं इनके कक्ष के बाहर खडा हो गया और इनको क्वार्टर से आते हुए देखने पर मैं इनके कक्ष में आकर बैठ गया और एसएचओ साहब भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गये। वार्ता के दौराने तय शुदा राशि के बारे में पूछने पर इन्होनें टेबल पर रखने का ईशारा करने पर मैंने इनके सामने इनकी टेबल पर पैसे रख दिए और इन्होंने रिश्वती राशि पर अपना हैण्डटॉवल रखकर अपनी तरफ खींच लिए और मैंने आपको पूर्व निर्धारित ईशारा कर दिया। इस पर पुनः श्री राममिलन मीणा से पूछा तो वह कुछ नहीं बोला और इधर-उधर देखने लग गया। इसके पश्चात् गवाह श्री मयंक टांक से एसएचओ की टेबल पर रखे हल्के पीले रंग की हैण्डटॉवल के नीचे रखी रिश्वती राशि को उठवाई जाकर दोनों गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो दोनों गवाहान ने फर्द पेशकशी से मिलान कर 500-500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000 हुबहु नम्बरी नोट होना पाये गये। उक्त रिश्वती राशि 50,000 रूपये के नोटो को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात परिवादी प्रवीण कुमार एवं उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें हॉस्पिटल से स्वच्छ पानी की बोतल मगवाकर दोनों प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी राममिलन मीणा के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित ही रहा। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग अपरिवर्तित होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी राममिलन मीणा के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के

मिश्रण में आरोपी राममिलन मीणा के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित ही रहा। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग अपरिवर्तित होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी राममिलन मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक अन्य साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पानी की बोतल से पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के मिश्रण में आरोपी राममिलन मीणा की टेबल पर रखे हैण्डटॉवल के नीचे से रिश्वती राशि बरामद हुई थी के उस हिस्से को एक सफेद कपडे की चिन्दी से रगडकर पौंछकर उक्त मिश्रण में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क H-1 व H-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी राममिलन मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त चिन्दी को सुखवाकर चिन्दी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को एक कपड़े की थैली में सील कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क '' C'' अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई तथा हैण्डटॉवल को कपडे की थैली में सील कर मार्क-''H'' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। घटनास्थल पर श्री लालू सैनी कानि. 418 से विभागीय विडियो कैमरे से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। इसके पश्चात् परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई है। समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी राममिलन मीणा से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया। उसके पश्चात श्री राममिलन मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक जयपुर ग्रामीण को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वती लेन-देन से पूर्व व लेन-देन के वक्त परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् नोटिस दिये जाने पर आरोपी राममिलन मीणा ने अपनी नमूना आवाज देने से इंकार किया, जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राममिलन मीणा पुलिस निरीक्षक के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर श्री राममिलन मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक जयपुर ग्रामीण को हस्बकायदा पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 14.09.2026 को पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी कार्यालय में उपस्थित आने के बाद उनके समक्ष परिवादी व आरोपी राममिलन मीणा के मध्य हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेन-देन से पूर्व मोबाईल पर व रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की गई तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी तथा रिश्वत मांग सत्यापन व वक्त लेन-देन से पूर्व व लेन-देन के समय की डीवीडी तैयार की गई तथा हैश वैल्यू निकाली गई। वार्तालाप से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड Consistent 32 GB को प्लास्टिक कंवर मे रखकर अलग से माचिस की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्डमोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा विडियो रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल सोर्स एसडी कार्ड Consistent 32 GB को पृथक से प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की शिशियों, शील्डशुदा रिश्वती राशि आदि को सील मोहर करने में एसीबी जयपुर की पीतल की सील का प्रयोग किया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी राममिलन मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री प्रवीण कुमार के पिताजी के नाम की फर्म को PWD विभाग से प्राप्त सडक निर्माण कार्य को अपने थाना क्षेत्र में निर्बाध रूप से चालू रखने की ऐवज में परिवादी से दिनांक 11.09.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिश्वत के रूप में 50,000 हजार रूपये की मांग तय कर दिनांक 13.09.2026 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री राममिलन मीणा पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से 50,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री राममिलन मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 43 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव सुन्दरी पुलिस थाना बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लॉट नं. ए-63, महादेव नगर, जगतपुरा जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना सांभर लेक, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (मनोज कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनोज कुमार, पुलिस

निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राममिलन मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 43 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव सुन्दरी पुलिस थाना बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लॉट नं. ए-63, महादेव नगर, जगतपुरा जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना सांभर लेक, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 206 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1503-06 दिनांक 15.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर 2- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/09/2026 17:25:50

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)